



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)



क्रमांक/परीक्षा-1/2016/4069

भोपाल, दिनांक 06/04/2016

आदेश

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 09/02/2016 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची जारी करने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

स.क्र.	अंकसूची विवरण	शुल्क
1	डुप्लीकेट अंकसूची हेतु	500/- प्रति अंकसूची
2	डुप्लीकेट की डुप्लीकेट अंकसूची हेतु	1000/- प्रति अंकसूची

उपरोक्त दरें आदेश दिनांक से प्रभावी होंगी।

(डॉ. सच्चिदानंद जोशी)
कुलसचिव

पृ.क्रमांक/परीक्षा-1/2016/4070

भोपाल, दिनांक : 06/4/2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति/कुलाधिसचिव/कुलसचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी यू.टी.डी. परिसर, भोपाल / नोएडा / खण्डवा / ग्वालियर एवं अमरकंटक परिसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त अध्ययन संस्था संचालक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहा. कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा/नामांकन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी वेबसाईट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उपरोक्त अधिसूचना तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

(डॉ. सच्चिदानंद जोशी)
कुलसचिव